प्रेस नोट, दिनांक 16.04.2026

साइबर क्राइम थाना,जनपद उन्नाव

साइबर क्राइम थाना उन्नाव को मिली बड़ी सफलता, मेट्रोमोनियल फ्रॉड का खुलासा, साइबर पुलिस ने 35 लाख रूपये कराए वापस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के कुशल पर्यवेक्षण में वादिनी मुकदमा श्रीमती विनीता द्विवेती पत्नी डॉ0 रमेश चन्द्र द्विवेदी निवासिनी-560/02 सिविल लाईन्स थाना-कोतवाली,सदर जनपद-उन्नाव से फ्राड की गयी धनराशि में से 35,11,101/- (पैंतीस लाख ग्यारह हजार एक सौ एक) रूपये वादिनी के खाते में वापस करायी गयी।

संक्षिप्त विवरण – श्रीमती विनीता द्विवेदी पत्नी डॉ0 रमेश चन्द्र द्विवेदी निवासिनी-560/02 सिविल लाईन्स थाना-कोतवाली,सदर जनपद-उन्नाव द्वारा दिनांक 17.01.2026 को साइबर क्राइम थाने पर तहरीरी सूचना दी गई कि प्रार्थिनी के साथ फ्राडस्टरों द्वारा मेट्रोमोनियल वेबसाइट पर शादी के नाम पर भिन्न-भिन्न संस्कार के नाम पर 75,11,353/- रूपये भिन्न-भिन्न माध्यमों से ट्रांसफर करा लिया गया। वादिनी मुकदमा को शुरुआत में जानकारी नहीं हो पायी कि उनके साथ साइबर अपराध किया जा रहा है। करीब 45 दिन बाद जब वादिनी मुकदमा को ज्ञात हुआ कि वो साइबर अपराध का शिकार हुई हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 01/26 धारा 318(4)/351 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा पंजीकृत अभियोग मे त्वरित कार्वयाही करते हुए पीड़िता के संबन्धित खातों में फ्राड की गयी धनराशि को फ्रीज कराते हुए सम्बन्धित बैंक से जरिए उचित माध्यम पत्राचार कर वादिनी मुकदमा के खाते में 35,11,101/- (पैंतीस लाख ग्यारह हजार एक सौ एक) रूपये वापस कराये गये। शेष धनराशि के संबन्ध मे कार्यवाही प्रचलित है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 श्री राजेश पाठक।
2.निरी0 श्री राजेश मिश्रा।
3.उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र।
4.मु0आ0 अजय पाल।
5.मु0आ0 तरूण कुमार सिंह।
6.मु0आ0 राधेश्याम।
7.कम्पयूटर ऑपरेटर प्रियांशी यादव।
8.आरक्षी शमसुद्दीन।
9.म0आ0 अर्चना पाण्डेय।
10.आरक्षी मोनू यादव।
11.आरक्षी संजय राजभर।
12.आरक्षी विपिन दांगी।